न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–774/2026

(UPSK010020442026)

रोहित राजभर उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र प्रितम राजभर, ग्राम हकीमपुर, थाना धनघटा, जिला संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–438/2025,
धारा–305 (a) भारतीय न्याय संहिता।
थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

आवेदक/अभियुक्त **रोहित राजभर** की ओर से मु०अ०सं०–438/2025, धारा–305 (a) भारतीय न्याय संहिता, थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामदास ने थाने पर तहरीर दी कि दिनांक 07.09.2025 को रात्रि में 12.10 बजे के बाद अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे पतोहू का कुछ गहना व 15,000/–रूपये नगद चुरा लिया गया है तथा घर में ताला कोई नहीं टूटा है।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात में अभियोग धारा–305(a) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त की ओर से निम्न आधारों पर उसे जमानत दिये जाने की याचना की गयी है कि प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है न ही वादी मुकदमा द्वारा दिया गया है न ही प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के नाम का जिक्र किया गया है। प्रार्थी को मुकामी थाने की पुलिस पहले से दर्ज अज्ञात चोरी के मुकदमें में संदेह के आधार पर फर्जी फंसा दिया है। प्रार्थी का घटना से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ कोई स्वंतत्र गवाह नहीं है न ही कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध है। प्रार्थी दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज हुई और फर्द बरामदगी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सह अभियुक्त पप्पू द्वारा की गयी संस्वीकति के आधार पर अभियुक्त रोहित राजभर को घटना में सम्मिलित होना बताया गया है। अभियुक्त रोहित राजभर के कब्जे से कोई सामान की बरामदगी नहीं हुई है। सह अभियुक्त पप्पू की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा हो चुकी है। अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह अधिकतम सात साल के कारावास से

दण्डनीय है।

उपरोक्त तथ्यों परिस्थियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए गुण दोष पर मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित राजभर** का जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-438/2025, धारा-305 (a) भारतीय न्याय संहिता, थाना-धनघटा, जनपद-संत कबीर नगर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **पचास हजार रूपये** के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही धनराशि का **दो विश्वसनीय प्रतिभू** दाखिल करें तथा निम्न शर्तों के निमित अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि-

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों के अधीन अभियुक्त को रिहा किया जाए।

दिनांक-01.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O.Code-UP5761],
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.06.01 16:26:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court